वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF
FINANCE

सत्यमेव जयते

लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में फर्जी फर्म के जरिए जीएसटी धोखाधड़ी: सीजीएसटी लुधियाना द्वारा ₹29.43 करोड़ का बिलिंग घोटाला उजागर; एक गिरफ्तार

लुधियाना: 12 सितंबर, 2025

जीएसटी फर्जी बिलिंग घोटालों के खिलाफ कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए, सीजीएसटी लुधियाना आयुक्तालय ने लोहा एवं इस्पात क्षेत्र में संचालित एक फर्जी जीएसटी फर्म का भंडाफोड़ किया है। यह फर्म पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के मंडी गोबिंदगढ़ में स्थित है।

जांच में खुलासा हुआ कि उक्त फर्म ने ₹29.43 करोड़ मूल्य के फर्जी जीएसटी बिल प्राप्त कर उन्हें आगे प्रसारित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹5.29 करोड़ की जीएसटी चोरी हुई। इन फर्जी बिलों को वैध ठहराने के लिए, फर्म ने जाली ई-वे बिल सहित अन्य दस्तावेज जारी किए, ताकि जीएसटी प्रवर्तन एजेंसियों की जाँच से बच सके। फर्म के मालिक को 11 सितंबर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सीजीएसटी लुधियाना आयुक्तालय कर धोखाधड़ी का पता लगाने और ईमानदार करदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।

****

पीआईबी चंडीगढ़: शीनम/रूस